

452

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1982/फाल्गुन 14, 1903
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1982/P. JALGUNA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1982

संख्या एस-27025/43/80-सी.एल.—भारत के तारीख 4 मार्च, 1981 के राजपत्र (असाधारण) के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के आदेश संख्या एस-27025/43/80-सी.एल. में, जिसमें काम-काजी बालकों के संबंध में वर्तमान कानून की पुनरीक्षा करने और कानूनी उपायों तथा कल्याण उपायों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड गठित किया गया था, जिसे श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एस-27025/43/80-सी.एल. तारीख 30 मार्च, 1981 और पहली सितम्बर, 1981 द्वारा यथा संशोधित किया गया है, आंशिक संशोधन करते हुए,

तारीख 4 मार्च, 1981 के उक्त आदेश के क्रमांक 1, 2, 5 और 9 में निर्दिष्ट सदस्यों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित सदस्य रखे जाएं :—

क्रमांक :

- | | |
|---|--------------|
| 1. श्री भागवत भ्ता आजाद,
श्रम मंत्री | — अध्यक्ष |
| 2. श्री धर्मवीर,
उप श्रम मंत्री | — उपाध्यक्ष |
| 5. श्री लवराज,
महानिदेशक,
रोजगार और प्रशिक्षण | — पदेन सदस्य |
| 9. श्री ए.वी.आर. चार,
सलाहकार (एल.ई. एण्ड एम.)
योजना आयोग | — पदेन सदस्य |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह आदेश भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

(श्रीमती) गिरिजा ईश्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1982

S-27025/43/80-CL.—In partial modification of this Ministry's Order No. S-27025/43/80-CL published in the Gazette of India Extraordinary Part 1 Section 1 dated the 4th March, 1981, constituting a Central Advisory Board on Child labour to review the existing legislation as well as to suggest legislative and welfare measures for working children, as amended by this Ministry's Order No. S-27025/43/80-CL dated the 30th March, 1981, and the 1st September, 1981, the names of members mentioned at S. Nos. 1, 2, 5 and 9 of the

said Order dated the 4th March, 1981 may be substituted respectively by the following members :—

S. Nos

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Shri Bhagwat Jha Azad
Minister of Labour | — Chairman |
| 2. Shri Dharma Vir
Deputy Minister of Labour | — Vice-Chairman |
| 5. Shri Loveraj,
Director General
Employment and Training | — Ex-officio
member |
| 9. Shri A. V. R. Char,
Adviser (L.E & M)
Planning Commission. | — Ex-officio
Member |

ORDER

Ordered that a copy of the Order may be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, State Governments/Union Territory Administrations and other concerned.

Also ordered that the Order be published in the Gazette of India for general information.

SMT. GIRIJA ESWARAN, Jt. Secy

